न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 117 सन 2019

अनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मुखराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिह पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर
3. सिलोचना पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 13.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा किंकराली के खाता संख्या 201/183 वै खसरा न0 417/148 की 1.4420हैक एवं खाता संख्या 202/182 के खसरा न0 38 की 2.2510हैक , खसरा न0 76 की 0.4810हैक , खसरा न0 77 की 31240हैक , खसरा न0 118 की 0.4800हैक खसरा न0 244 की 4.8180हैक , खसरा न0 245/1 की 1.2650हैक खसरा न0 247 की 0.1010हैक खसरा न0 416/148 की 4.3630हैक खसरा न0 448/123 की 0.0630हैक खसरा न0 451/145 की 1.3530हैक कुल 18.2990हैक भूमि जो पूर्व में वादी के दादा सहीराम पुत्र मेघाराम के नाम से दर्ज थी।

वादी के दादा सहीराम पुत्र मेघाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 201/183 की कुल 1.4420हैक व खाता संख्या 202/182 की कुल 18.2990हैक भूमि दोनो खातों में 5/6 हिस्सा भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के हकदार है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी

एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि मे उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 201/183 की कुल तादादी 1.4420है० भूमि में से सयुक्त खाता दर्ज 5/6 हिस्सा मे से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार खाता संख्या 202/182 की कुल 18.2990है० भूमि में सयुक्त तौर से 5/6 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official